



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 05.01.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---------|-------------|--|
| 1 | बढ़ापुर | नितेश कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम अनुपनगर थाना बढ़ापुर बिजनौर |
| 2 | चांदपुर | महेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र धीर सिंह निवासी छोयपुरिया स्याऊ थाना चांदपुर बिजनौर |
| 3 | चांदपुर | महबूब पुत्र कल्लन निवासी मौहल्ला काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर |
| 4 | चांदपुर | इन्तजार पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर |
| 5 | नूरपुर | शहजाद पुत्र इरफान निवासी गोहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर |
| 6 | हीमपुर दीपा | मौ० वहीद पुत्र नसीमुल्ला निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर |
| 7 | हीमपुर दीपा | जावेद पुत्र मकसूद निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुर जनपद बिजनौर |
| 8 | हल्दौर | फैजान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम तोहापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर |
| 9 | हल्दौर | नौशाद पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला सराय थाना हल्दौर जनपद बिजनौर |



थाना बढापुर



थाना चादंपुर



थाना नूरपुर



थाना हीमपुर दीपा



थाना हल्दौर



थाना हल्दौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 05.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1136/2024 धारा 108 बीएनएस व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.11.2024 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादिया की बहन द्वारा रोहन शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को शादी के लिये कहने पर अभियुक्त द्वारा वादिया की बहन के साथ गाली-गलौच करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस कारण वादिया की बहन द्वारा जहरीला पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1136/2024 धारा 108 बीएनएस व धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहन शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहन शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कम्भौर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

कां0 2605 निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 05.01.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 03 घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 शातिर चोरों को चोरी किये गये घरेलू सामान एवं घटना मे प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही –

दिनांक 04.01.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण 1.शाहनूर उर्फ कल्लू पुत्र आस मौहम्मद निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी पुरानी धामपुर टंकी के पास कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.वसीम उर्फ भूरा पुत्र अख्तर निवासी ग्राम किरारखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3.कामरान पुत्र अब्दुल हफीज निवासी पुरानी धामपुर टंकी के पास कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से थाना नजीबाबाद, शेरकोट व अफजलगढ़ क्षेत्र में हुई चोरी में गया सामान एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त महिन्द्रा जाईलो गाडी रजि0 नं0 यूपी 20 टी 3979 बरामद की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद माल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 02.01.2025 की रात्रि में समय लगभग 09 बजे इसी जाईलो गाडी से नहर से पहले हाईवे तिराहे पर बने डिलिशियस होटल का ताला तोडकर 02 बैटरे चोरी किये थे तथा होटल मालिक के आ जाने पर उसे भी धमका दिया था, (इस घटना के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 331(4)/305ए/351(2) बीएनएस पंजीकृत है) । करीब 10 से 12 दिन पहले थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम रामसावाला रोड पर रफल कालोनी में एक मकान से 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा, 01 घरेलू गैस चूल्हा, 01 गैस सिलेण्डर, 01 गैस गीजर, 01 स्टैन्डिंग फैन चोरी किया गया था, (इस घटना के सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत है) । 03 दिन पहले थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सुआवाला में एक बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर 01 सोलर इन्वर्टर, 02 बैटरे, 01 स्टैण्डिंग फैन चोरी किया था, (इस घटना के सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 03/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस पंजीकृत है) ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.शाहनूर उर्फ कल्लू पुत्र आस मौहम्मद निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी पुरानी धामपुर टंकी के पास कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.वसीम उर्फ भूरा पुत्र अख्तर निवासी ग्राम किरारखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कामरान पुत्र अब्दुल हफीज निवासी पुरानी धामपुर टंकी के पास कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

- 05 बैटरे, 01 इन्वर्टर, 01 घरेलू गैस चूल्हा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस गीजर, 02 स्टैंडिंग फैन, 01 सोलर इन्वर्टर, 01 लोहा सरिया व प्लास
घटना मे प्रयुक्ता महिन्द्रा जाईलो गाडी यूपी 20 टी 3979

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 06/2025 धारा 331(4)/305ए/351(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 06/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 03/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 403 अनिल कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 523 अमित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.कां0 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1042 समोद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 6.चालक हे0का0 राजीव खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर